

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम (एन0सी0आर0)।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
5. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद व पानीपत।
8. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य। (मिक्नी का टोइकर)


क्रमांक: स्था0/01/2017/ 35251-355  
दिनांक: 201212

Subject:- Regarding revenue land records for all Governments lands.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 33637-713 दिनांक 01.12.2017 के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया गया था कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति भेजते हुए अनुरोध किया जाता था कि विषय संबंधी मामलों में यह सूचना प्रदान करने का कष्ट करें तथा स्पष्ट करें कि आप द्वारा अपने कार्यालय की जमीन आप द्वारा या श्रम विभाग अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा खरीदी गई है, और उसको अपने नाम पर दर्ज नहीं करवाया गया है तो इसे बारे शीघ्र जमीन की रजिस्ट्ररी अपने कार्यालय के नाम पर दर्ज करवायें, परंतु कार्यालय रिकार्ड अनुसार अभी तक विषय संबंधी मामलों में कोई आपकी ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।


अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि विषय संबंधी मामलों में आगामी कार्यवाही करते हुए अपनी रिपोर्ट प्राप्त प्राप्ति के दो दिन के अन्दर-2 भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठाकांन क्रमांक: स्था0/2017/

दिनांक:

पत्र की प्रति लेखा अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि विषय संबंधी मामले में अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 तक प्रात 11.00 बजे तक स्थापना अनुभाग को देने का कष्ट करें कि कौन-2 से क्षेत्रीय कार्यालय रेंट पर चल रहे है।

  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।